Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 4: Appointment of officers

- (1) The Board may, in addition to the officers as may be notified by the Government under section 3, appoint such persons as it may think fit to be the officers under this Act.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board may, by order, authorise any officer referred to in clauses (a) to (h) of section 3 to appoint officers of central tax below the rank of Assistant Commissioner of central tax for the administration of this Act.

धारा 4 : अधिकारियों की नियुक्ति

- (1) बोर्ड, धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझें।
- (2) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रशासन के लिए, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, धारा 3 के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को केन्द्रीय कर सहायक आयुक्त के नीचे की पंक्ति के केन्द्रीय कर अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।